**न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–10, जयपुर महानगर–द्वितीय, मुख्यालय चौमूँ**

**पीठासीन अधिकारी :: शक्ति सिंह**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या. 350/2022**

1. मोहन बागरिया उर्फ मुन्ना पुत्र स्व. श्री बन्नाराम, उम्र 23 वर्ष, निवासी बड पीपली स्टेण्ड के पास, पुलिस थाना हरमाडा, जिला जयपुर।

2. काना पुत्र श्री अर्जुन, उम्र 18 वर्ष, निवासी बागरिया की ढाणी, गांव मांदी, थाना फागी, जिला जयपुर, हाल बड पीपली स्टेण्ड के पास, पुलिस थाना हरमाड़ा, जिला जयपुर।

3. रामु बागरिया पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण, उम्र 38 वर्ष, निवासी मंशा धर्मकांटा के पास अनन्तपुरा रोड़, ग्राम जैतपुरा, पुलिस थाना चौमूं, जिला जयपुर।

**––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण**

–: **बनाम** :–

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक .....**अप्रार्थी/सरकार**

**जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.**

**प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 752/2022 पुलिस थाना–**

**चौमूँ अपराध अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं.**

उपस्थितिः–

1. श्री बी.एल. कूड़ी, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त संख्या–1 व 2 की ओर से।

2. श्री आर.एस भदाला, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त संख्या–3 की ओर से

3– विद्वान अपर लोक अभियोजक अप्रार्थी/सरकार की ओर से।

**:: आदेश ::**

**दिनांक 30.11.2022**

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन विद्वान् अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–10 जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमूँ के द्वारा दिनांक 29.11.2022 को खारिज कर देने पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 439 के अंतर्गत

हस्तगत जमानत आवेदन इस न्यायालय में पेश किया, जिसकी प्रति विद्वान् अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करवाई जाकर केस डायरी तलब की गई।

2— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.11.2022 को परिवादी श्री अनिल अग्रवाल ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरी फर्म अनाज मंडी चौमूं में श्री अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी दुकान नंबर 52 है। मेरी फर्म के बाहर मुंगफली की बोरी रखी थी। दिनांक 16.11.2022 की रात्री को कुछ अज्ञात चोरो ने मेरी रखी बोरीयों में से 11 बोरी चोरी की हुई है और फिर दिनांक 19.11.2022 की रात्री को दुसरी बार 20 बोरी चोरी हो गई है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बेईमानी पूर्वक आपराधिक आशय से मेरी जानकारी व सहमति के बिना चोरी कर लिया गया है।

3— उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना चौमूँ पर प्रथम सूचना संख्या 752/2022 धारा 379 भा.दं.सं. में संस्थित कर अनुसंधान प्रारम्भ किया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित मानकर गिरफ्तार किया गया।

4— बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क पेश किया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गरीब परिवार का मजदूर पेशा व्यक्ति है, जो परिवार में अकेले कमाने वाले हैं जिनके अभिरक्षा में रहने से उनके परिवार के भूखे मरने की पूर्ण संभावना है। अभियुक्तगण काफी दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। अतः आवेदन स्वीकार कर जमानत पर रिहा किया जावे।

5— जबकि विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता एवं तीनों अभियुक्तगण के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा निम्नांकितानुसार संस्थित प्रकरणों के आधार पर आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की:—

01 मुल्जिम मोहन बागरिया का आपराधिक रिकॉर्ड

| क्र.सं. | मुकदमा नम्बर | थाना | धारा | चार्जशीट नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 215/2020 | हरमाड़ा | 16/54, 54ए | 231/2020 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | एक्साईज एक्ट | |
| 2 | 166 / 2019 | हरमाड़ा | 392 आईपीसी | 142 / 2019 |
| 3 | 153 / 2018 | हरमाड़ा | 379, 411 आईपीसी | 90 / 2018 |
| 4 | 149 / 2018 | हरमाड़ा | 379 आईपीसी | 96 / 2018 |
| 5 | 148 / 2018 | हरमाड़ा | 379, 411 आईपीसी | 99 / 2018 |

02 मुल्जिम काना बागरिया का आपराधिक रिकॉर्ड

| क्र.सं. | मुकदमा नम्बर | थाना | धारा | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 / 2022 | शिप्रापथ | 379 आईपीसी | वांछित |

03 मुल्जिम रामु बागरिया का आपराधिक रिकॉर्ड

| क्र.सं. | मुकदमा नम्बर | थाना | धारा | चार्जशीट नंबर | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 / 2004 | चौमूं | 342, 323 आईपीसी | 341 / 2004 | 4पीओ लाभ जुर्माना |
| 2 | 39 / 2007 | चौमूं | 379 आईपीसी | 45 / 2007 | दोषमुक्त |

6— उभय पक्ष के उपरोक्त तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7— केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवादी की मुंगफली की बोरी को चुराने के अपराध के संबंध में धारा 379 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप अनुसंधान के दौरान प्रमाणित पाया गया हैं। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के अनुसरण में प्रकरण का माल—मशरूका बरामद किया जा चुका है, अभियुक्त से कोई अनुसंधान एवं बरामदगी शेष नहीं होना केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है। यद्धपि अभियुक्तगणों के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा अन्य प्रकरण निम्नांकितानुसार संस्थित होना बताया गया है:—

01 मुल्जिम मोहन बागरिया का आपराधिक रिकॉर्ड

| क्र.सं. | मुकदमा नम्बर | थाना | धारा | चार्जशीट नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 / 2020 | हरमाड़ा | 16 / 54, 54ए एक्साईज एक्ट | 231 / 2020 |
| 2 | 166 / 2019 | हरमाड़ा | 392 आईपीसी | 142 / 2019 |
| 3 | 153 / 2018 | हरमाड़ा | 379, 411 आईपीसी | 90 / 2018 |
| 4 | 149 / 2018 | हरमाड़ा | 379 आईपीसी | 96 / 2018 |
| 5 | 148 / 2018 | हरमाड़ा | 379, 411 आईपीसी | 99 / 2018 |

02 मुल्जिम काना बागरिया का आपराधिक रिकॉर्ड

| क्र.सं. | मुकदमा नम्बर | थाना | धारा | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 / 2022 | शिप्रापथ | 379 आईपीसी | वांछित |

03 मुल्जिम रामु बागरिया का आपराधिक रिकॉर्ड

| क्र.सं. | मुकदमा नम्बर | थाना | धारा | चार्जशीट नंबर | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 / 2004 | चौमूं | 342, 323 आईपीसी | 341 / 2004 | 4पीओ लाभ जुर्माना |
| 2 | 39 / 2007 | चौमूं | 379 आईपीसी | 45 / 2007 | दोषमुक्त |

किन्तु उपरोक्त प्रकरणों की वर्तमान वस्तुस्थित के संबंध में केस डायरी पर कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है। अभियुक्तगण दिनांक 23.11.2022 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

8— अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर बगैर कोई टिप्पणी किये प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का आवेदन स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आ दे श

9— अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण—1. मोहन बागरिया उर्फ मुन्ना पुत्र स्व. श्री बन्नाराम, उम्र 23 वर्ष, निवासी बड पीपली स्टेण्ड के पास, पुलिस थाना हरमाडा, जिला जयपुर 2. काना पुत्र श्री अर्जुन, उम्र 18 वर्ष, निवासी बागरिया की ढाणी, गांव मांदी, थाना फागी, जिला जयपुर, हाल बड पीपली स्टेण्ड के पास, पुलिस थाना हरमाड़ा, जिला जयपुर 3. रामु बागरिया पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण, उम्र 38 वर्ष, निवासी मंशा धर्मकांटा के पास अनन्तपुरा रोड़, ग्राम जैतपुरा, पुलिस थाना चौमूं, जिला जयपुर की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत प्रस्तुत हस्तगत जमानत आवेदन एतद्द्वारा स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार **25,000—25,000/—(अक्षरे पचीस—पचीस हजार) रूपये की दो जमानते व 50,000/—(अक्षरे पचास) रूपये का बंधपत्र** इस आशय के प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें कि वे न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उपस्थित होगें, विचारण में सहयोग करेगें, एवं न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगें, तो उन्हें प्रथम सूचना संख्या 752/2022 पुलिस थाना चौमूँ के प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(शक्ति सिंह)
अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या—10
जयपुर महानगर—द्वितीय, मुख्यालय चौमूँ

10— आदेश आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शक्ति सिंह)
अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या—10
जयपुर महानगर—द्वितीय, मुख्यालय चौमूँ।